

न्यायालय उपखण्डाधिकारी सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी का नाम :- हवाई सिंह यादव (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :- 835/ 2019

- 1 अमन चौधरी पुत्र पृथ्वीराज जाति जाट निवासी सादुलशहर तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर
- 2 हर्ष चौधरी पुत्र पृथ्वीराज जाति जाट निवासी सादुलशहर तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर
- 3 पूनम पत्नी पृथ्वीराज जाति जाट निवासी सादुलशहर तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर

वादीगण

बनाम

- 1 सुनीता देवी पत्नी मनोज कुमार जाति जाट निवासी सादुलशहर तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर
- 2 नीलम पत्नी योगेश कुमार जाति जाट निवासी सादुलशहर तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर
- 3 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) सादुलशहर

प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88,53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम


उपस्थित विद्वान अधिवक्तागण :-

- 1 श्री रामकुमार सिहाग, राकेश सिहाग अधिवक्ता (वादीगण)
- 2 श्री रजनीकान्त अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 1 ता 2
- 3 राजपैरोकार वास्ते स्टेट

निर्णय

दिनांक :- 27.01.2020

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने प्रतिवादीगण के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 88 आर. टी.ए. के तहत इन अभिकथनों के साथ प्रस्तुत किया कि चक 13 के आर डब्ल्यू जमाबंदी सम्वत 2069-2072 खातासंख्या 40/29 प.न. 83/137 मु.न. 20 कि.न. 19 ता 23 में 1.062 है. नहरी, प.न. 82/137 मु.न. 21 कि.न. 16 ता 19, 22 ता 25 में 2.024 है. नहरी, प.न. 82/138 मु.न. 30 कि.न. 3 ता 8, 13 ता 15 में 2.277 है. नहरी मय खाला, प.न. 83/138 मु.न. 31 कि.न. 1 ता 4, 7 ता 13 में 2.466 है. नहरी कुल खाता 7.829 है. नहरी मय खाला आराजी में से वादी संख्या 1 के नाम 1.771 है. व वादी संख्या 3 के नाम 1.771 है. आराजी दर्ज कागजात माल है। नकल जमाबंदी संलग्न वाद पत्र है। चक 13 के आर डब्ल्यू जमाबंदी सम्वत 2069-2072 खातासंख्या 41/32 प.न. 82/136 मु.न. 18 कि.न. 24, 25 में 0.493 है. नहरी, प.न. 83/137 मु.न. 20 कि.न. 1, 10, 11, 12 में 0.758 है. नहरी, प.न. 82/137 मु.न. 21 कि.न. 1 ता 15 में 3.795 है. नहरी, मय खाला, प.न. 81/137 मु.न. 22 कि.न. 4, 5, 6, 7, 14, 15 में 1.518 है. नहरी मय खाला कुल खाता 6.564 है. नहरी मय खाला आराजी वादीगण संख्या 1 ता 3 के नाम से दर्ज कागजात माल है। नकल जमाबंदी संलग्न वाद पत्र है। चक 13 के आर डब्ल्यू जमाबंदी सम्वत 2069-2072 खाता संख्या 69/57 प.न. 81/136 मु.न. 17 कि.न. 11 में 0.126 है., कि.न. 12 ता 20, 22 ता 25 सालम कुल 3.415 है. नहरी आराजी वादीगण संख्या 1 ता 3 के नाम से एव मु.न. 17 कि.न. 11/1 में 0.127 है. आराजी वादी संख्या 3 के नाम से दर्ज कागजात माल है। दर्ज कागजात माल है। नकल जमाबंदी संलग्न वाद पत्र है। चक 13 के आर डब्ल्यू जमाबंदी सम्वत 2069-2072 खाता संख्या 10/7 प.न. 82/136 मु.न. 18 कि.न. 4, 7 ता 9 सालम कि.



Edw...
उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
सादुलशहर

न. 10 में 0.126 है, कि.न. 11 ता 13 सालम, कि.न. 14 में 0.240 है, कि.न. 15 में 0.025 है, कि.न. 16 में 0.114 है, कि.न. 17 ता 23 सालम कुल 3.680 है. नहरी आराजी वादी संख्या 3 के नाम से दर्ज कागजात माल है। नकल जमाबंदी संलग्न वाद पत्र है। मद संख्या 6 में कब्जा काश्त का वर्णन किया गया। वादीगण के हक हिस्सा एव कब्जा काश्त की मुताबिक पारिवारिक बंटवारा एव अन्य सहकाश्तकारान प्रतिवादीगण के साथ हुये बंटवारानुसार प्राप्त किला विशेष आराजी राजस्व रिकॉर्ड में सांझा खाता मे दर्ज रिकॉर्ड रहने के कारण वादीगण को पानी की बारी रकम अदायगी बैंक ऋण व अन्य सरकारी सुविधाओं का लाभ लेने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है एव आराजी राजस्व रिकॉर्ड में मुताबिक पारिवारिक बंटवारानुसार दर्ज रिकॉर्ड नही होने के कारण वादीगण के मध्य अक्सर विवाद की स्थिती बनी रहती है जिस कारण पारिवारिक शांति भंग होती है इसलिए वादीगण अपने हक हिस्सा एव कब्जा काश्त की मुताबिक पारिवारिक बंटवारानुसार प्राप्त एव अन्य सहकाश्तकारान के साथ हुये बंटवारानुसार प्राप्त किला विशेष आराजी की खातेदारी घोषणा प्राप्त कर खाता अलग कायम करवाने के कानूनन हक अधिकारी है। वगैरा-वगैरा।

लिहाजा वाद वादीगण मय शपथ पत्र दो प्रतियों मे पेश कर निवेदन है कि :- चक 13 के आर डब्ल्यू प.न. 83/137 मु.न. 20 कि.न. 1 में 0.139 है. नहरी कि.न. 10 में 0.240 है. नहरी, कि.न. 11 में 0.253 है. नहरी, कि.न. 12 में 0.126 है. नहरी, कि.न. 20 में 0.253 है. नहरी कुल 1.011 है. नहरी, प.न. 82/137 मु. न.21 कि.न. 1 ता 4 प्रत्येक में 0.228 है. नहरी, 0.025 है. खाला, कि.न. 5 में 0.202 है. नहरी, 0.051 है. खाला, कि.न. 6 में 0.228 है.नहरी, 0.025 है. खाला, कि.न. 7 ता 14 प्रत्येक में 0.253 है. नहरी, कि.न. 15 में 0.228 है. नहरी, 0.025 है. खाला, कि.न. 16 में 0.228 है. नहरी, 0.025 है. खाला, कि.न. 17 में 0.253 है. नहरी, कि.न. 24 में 0.253 है. नहरी, कि.न. 25 में 0.228 है. नहरी, 0.025 है. खाला कुल 4.807 है. नहरी मय खाला, प.न. 81/137 मु.न. 22 कि.न. 4, 5 प्रत्येक में 0.228 है. नहरी, 0.025 है. खाला, कि.न. 6, 7, 14, 15 प्रत्येक में 0.253 है.नहरी कुल 1.518 है. नहरी मय खाला आराजी कुल 7.336 है. नहरी मय खाला आराजी का वादी संख्या 1 अमन चौधरी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे एव इस हद तक वादी संख्या 2 व 3 का नाम तर्क किया जावे एव शेष खातों से वादी संख्या 1का नाम तर्क किया जाकर वादी संख्या 2 व 3 के नाम दर्ज की जावे। चक 13 के आर डब्ल्यू प.न. 81/136 मु.न. 17 कि.न. 11 में 0.126 है. नहरी, कि.न. 11/1 में 0.127 है. नहरी, कि.न. 12 ता 20 प्रत्येक में 0.253 है. कि.न. 22 ता 25 प्रत्येक में 0.253 है. नहरी कुल 3.542 है. नहरी, प.न. 82/136 मु. न. 18 कि.न. 11, 12, 19, 20, 21, 22 प्रत्येक में 0.253 है. नहरी कुल 1.518 है. नहरी कुल 5.060 है. नहरी आराजी का वादी संख्या 2 हर्ष चौधरी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे एव इस हद तक वादी संख्या 1 व 3 का नाम तर्क किया जावे एव शेष खातों से वादीसंख्या 2 का नाम तर्क किया जाकर वादीसंख्या 1 व 3 के नाम दर्ज की जावे। चक 13 के आर डब्ल्यू प.न. 82/136 मु.न. 18 कि.न. 4 में 0.025 है., कि. न. 7 मे 0.114 है., कि.न. 8,9 प्रत्येक में 0.253 है. कि.न. 10 में 0.126 है., कि.न. 13 में 0.253 है. कि.न. 14 में 0.240 है. कि.न. 15 में 0.025 है. कि.न. 16 में 0.114 है. कि.न. 17, 18 प्रत्येक में 0.253 है. कि.न. 23 में 0.253 है., कि.न. 24, 25 प्रत्येक में 0.253 है. नहरी कुल 2.668 है. नहरी की वादी संख्या 3 पूनम को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। अनूतोष की मद संख्या क,ख,ग के अनुसार वादीगण का खाता अलग अलग कायम किया जाकर रेवेन्यू अलग से कायम की जावे।


वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने जरिये वकील उपस्थित होकर इकबाल दावा मय काउन्टर वलैम पेश कर वादीगण के कथनों को स्वीकार करते हुये निवेदन किया

कि चक 13 के आर डब्ल्यू जमाबदी सम्वत 2069-2072 खाता संख्या 40/29 प.न. 82/138 मु.न. 30 कि.न. 4, में 0.253 है. नहरी, कि.न. 5, 6 प्रत्येक में 0.228 है. नहरी, 0.025 है. खाला, कि.न.7 में 0.253 है. नहरी, कि.न. 15 में 0.228 है. नहरी, 0.025 है. खाला कुल 1.265 है. नहरी मय खाला, प.न. 83/138 मु.न. 31 कि.न. 11,12,13 प्रत्येक में 0.253 है. नहरी कुल 0.759 है. नहरी कुल 2.024 है. नहरी मय खाला आराजी की प्रतिवादी संख्या 1 सुनीता देवी को खातेदार काशतकार घोषित किया जावे। चक 13 के आर डब्ल्यू जमाबदी सम्वत 2069-2072 खाता संख्या 40/29 प.न. 82/137 मु.न. 21 कि.न. 18, 19, 22, 23 प्रत्येक में 0.253 है. नहरी कुल 1.012 है. नहरी, प.न. 82/138 मु.न. 30 कि.न. 3, 8, 13, 14 प्रत्येक में 0.253 है. नहरी कुल 1.012 है. नहरी कुल 2.024 है. नहरी आराजी की प्रतिवादी संख्या 2 नीलम को खातेदार काशतकार घोषित किया जावे। अनूतोष की मद संख्या 'क', 'ख' के अनुसार हम प्रतिवादीगण का खाता अलग कायम किया जावे। जवाब स्टेट पेश हुआ राज्यहित को ध्यान में रखते हुये वाद वादीगण में उचित आदेश फरमाये जाने की इस्तदुआ की गयी।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी। दौराने बहस वकील वादीगण ने वाद पत्र के कथनों को दोहराते हुये वाद वादीगण स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। वकील प्रतिवादीगण ने वादीगण के कथनों में अपनी सहमति प्रकट की एव काउन्टर क्लैम स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादाधीन आराजी के वादीगण एव प्रतिवादीगण रिकॉर्डड खातेदार काशतकार है एव वादीगण व प्रतिवादीगण ने अपने अपने हक हिस्सा में आयी पारिवारिक बंटवारा के अनुसार प्राप्त आराजी को स्वीकार करते हुये किला विशेष का वर्णन किया है एव वादीगण व प्रतिवादीगण का मुख्य अनूतोष खाता तकसीम का है जो कि उभयपक्ष ने एक दूसरे की कब्जा काशत किला विशेष आराजी को स्वीकार किया है, पत्रावली पर सभी पक्षकारान उपस्थित है एव अपने अपने किला विशेष आराजी का खाता प्रथक कायम करवाना चाहते है उभयपक्षकारान के मध्य कब्जा काशत के सम्बन्ध में कोई विवाद नहीं है। इस प्रकार वादीगण एव प्रतिवादीगण ने अपने दावा व प्रतिदावा को अभिकथनों, दस्तावेजी साक्ष्यों व इकबाल कथनों एव बहस के आधार पर बखूबी साबित किया है। अतः वाद वादीगण एव काउन्टर क्लैम प्रतिवादीगण स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाना न्यायोचित है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादीगण एव काउन्टर क्लैम प्रतिवादीगण स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है तथा तहसीलदार (राजस्व) सादुलशहर को आदेशित किया जाता है कि :- (1) चक 13 के आर डब्ल्यू प.न. 83/137 मु.न. 20 कि.न. 1 में 0.139 है. नहरी कि.न. 10 में 0.240 है. नहरी, कि.न. 11 में 0.253 है. नहरी, कि.न. 12 में 0.126 है. नहरी, कि.न. 20 में 0.253 है. नहरी कुल 1.011 है. नहरी, प.न. 82/137 मु.न.21 कि.न. 1 ता 4 प्रत्येक में 0.228 है. नहरी, 0.025 है. खाला, कि.न. 5 में 0.202 है. नहरी, 0.051 है. खाला, कि.न. 6 में 0.228 है. नहरी, 0.025 है. खाला, कि.न. 7 ता 14 प्रत्येक में 0.253 है. नहरी, कि.न. 15 में 0.228 है. नहरी, 0.025 है. खाला, कि.न. 16 में 0.228 है. नहरी, 0.025 है. खाला, कि.न. 17 में 0.253 है. नहरी, कि.न. 24 में 0.253 है. नहरी, कि.न. 25 में 0.228 है. नहरी, 0.025 है. खाला कुल 4.807 है. नहरी मय खाला, प.न. 81/137 मु.न. 22 कि.न. 4, 5 प्रत्येक में 0.228 है. नहरी, 0.025 है. खाला, कि.न. 6, 7, 14, 15 प्रत्येक में 0.253 है. नहरी कुल 1.518 है. नहरी मय खाला आराजी कुल 7.336 है. नहरी मय खाला आराजी का वादी संख्या 1 अमन चौधरी को खातेदार



(Signature)
आदेश अधिकारी (राजस्व)

काश्तकार घोषित किया जाता है एव इस हद तक वादी संख्या 2 व 3 का नाम कलमजन किया जाता है। (2) चक 13 के आर डब्ल्यू प.न. 81/136 मु.न. 17 कि.न. 11 में 0.126 है, नहरी, कि.न. 11/1 में 0.127 है, नहरी, कि.न. 12 ता 20 प्रत्येक में 0.253 है, कि.न. 22 ता 25 प्रत्येक में 0.253 है, नहरी कुल 3.542 है, नहरी, प.न. 82/136 मु.न. 18 कि.न. 11, 12, 19, 20, 21, 22 प्रत्येक में 0.253 है, नहरी कुल 1.518 है, नहरी कुल 5.060 है, नहरी आराजी का वादी संख्या 2 हर्ष चौधरी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एव इस हद तक वादी संख्या 1 व 3 का नाम कलमजन किया जाता है। (3) चक 13 के आर डब्ल्यू प.न. 82/136 मु.न. 18 कि.न. 4 में 0.025 है, कि.न. 7 में 0.114 है, कि.न. 8,9 प्रत्येक में 0.253 है, कि.न. 10 में 0.126 है, कि.न. 13 में 0.253 है, कि.न. 14 में 0.240 है, कि.न. 15 में 0.025 है, कि.न. 16 में 0.114 है, कि.न. 17, 18 प्रत्येक में 0.253 है, कि.न. 23 में 0.253 है, कि.न. 24, 25 प्रत्येक में 0.253 है, नहरी कुल 2.668 है, नहरी की वादी संख्या 3 पूनम को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। (4) चक 13 के आर डब्ल्यू जमाबदी सम्वत 2069-2072 खाता संख्या 40/29 प.न. 82/138 मु.न. 30 कि.न. 4, में 0.253 है, नहरी, कि.न. 5, 6 प्रत्येक में 0.228 है, नहरी, 0.025 है, खाला, कि.न.7 में 0.253 है, नहरी, कि.न. 15 में 0.228 है, नहरी, 0.025 है, खाला कुल 1.265 है, नहरी मय खाला, प.न. 83/138 मु.न. 31 कि.न. 11,12,13 प्रत्येक में 0.253 है, नहरी कुल 0.759 है, नहरी कुल 2.024 है, नहरी मय खाला आराजी की प्रतिवादी संख्या 1 सुनीता देवी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। (5) चक 13 के आर डब्ल्यू जमाबदी सम्वत 2069-2072 खाता संख्या 40/29 प.न. 82/137 मु.न. 21 कि.न. 18, 19, 22, 23 प्रत्येक में 0.253 है, नहरी कुल 1.012 है, नहरी, प.न. 82/138 मु.न. 30 कि.न. 3, 8, 13, 14 प्रत्येक में 0.253 है, नहरी कुल 1.012 है, नहरी कुल 2.024 है, नहरी आराजी की प्रतिवादी संख्या 2 नीलम को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। उक्तानुसार ही वादीगण एव प्रतिवादीगण का खाता अलग अलग कायम किया जाकर वादीगण एव प्रतिवादीगण के नाम राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे। निर्धारित स्टाम्प ड्यूटी पेश होने पर उक्तानुसार ही पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर बाद तर्तीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 21.1.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



हवाई सिंह यादव (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
सादलशहर

